

सूचना

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 61 व 62 और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार ई-नीलामी द्वारा अनिश्चित/बिना दावे के माल की बिक्री

लॉट की जांच : 24.02.2012 से 10.03.2012 (दोनों दिन शामिल)
एमएसटीसी वेबसाइट पर बोली का समय : 12.03.2012 (11.00 बजे से 15.00 बजे तक)

यदि माल के आयातक/स्वामी इस तिथि से 10 दिनों से भीतर इन सामानों को स्पष्ट नहीं कर पाते, जैसा है, जहां है के आधार पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 61 व 62 और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत 2 माह से अधिक के लिए कोलकाता और हल्दिया डॉक्स में अनिश्चित/बिना दावे के माल की बिक्री सोमवार, 12 मार्च, 2012 को आयोजित की जाएगी।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का बिक्री एजेंट एमएसटीसी लि. केओपीटी की ओर से ई-नीलामी द्वारा बिक्री का आयोजन करेगा। ई-नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक को एमएसटीसी लि. जिसका संपर्क विवरण नीचे दिया गया है, के साथ अपने को पंजीकृत कराने की आवश्यकता है।

एमएसटीसी लि. (भारत सरकार का उपक्रम)

पूर्वीय क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)

225-एफ, ए.जे.सी.बोस रोड, कोलकाता -700 020

फोन नं. (033) 2281-2877/2289-1402, फैक्स: (033) 2287-4915/8547

वेबसाइट:

www.mstcindia.com/www.mstcecommerce.com

ई-मेल: mstcero@mstcindia.co.in

लॉट्स की जांच 24.02.2013 से 10.03.2012 तक की जा सकती है जिसके लिए डॉक अनुमति एमएसटीसी वेबसाइट द्वारा डाउनलोड बिक्री कैटलॉग और शनिवार व रविवार को छोड़कर सभी दिनों पर चुनाव आई/कार्ड/पासपोर्ट सहित एमएसटीसी लि. द्वारा जारी आईकार्ड के निर्माण पर कोलकाता डॉक सिस्टम व हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स पर संबंधित अनुमति कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

ई-नीलामी के विशेष नियमों और शर्तों सहित लॉट्स के विवरण के लिए कृपया एमएसटीसी वेबसाइट देखें।

(यू. सिन्हा)

यातायात प्रबंधक

